From-I

(For linear projects)

Government of Chhattisgarh

office of the District Collector Balrampur- Ramunajganj

No--3374 Date---12/01/2022

TO WHOM SO EVERIT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF Issued Guidelines on submission of Evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act,2006 ('FRA', for Short) on the Forest land Proposed to be diverted for non –forest purposes read with MoEF's Letter Dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is Certified that 92.455 Ha. of forest land proposed to be diverted in favour of PWD National Highway Division Ambikapur for National Highway No-343 Ambikapur–Ramanujganj-Garhwa Road in Balrampur-Ramanuganj District falls within jurisdiction of respectively Alakdhiha, Basen, Bariyon, Budabagicha, Chanchi, Dakwa, Mahuwapara in Rajpur Tehsil & Tatapani(Lurghuta) in Balrampur Tehsil & Bulgaon, Chandanpur, Jamwantpur, kamalpur, Purandih, Ramunajganj in Ramanujganj Tehsil.

It is Further Certified that :

a- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 92.455 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forests Rights committee (s), GramSabha (s) sub division level Committee and the district level Committee are enclosed as annexure 01 to 03.

b- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;

c- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Collector

Distt.- Balrampur-Ramunajganj

FORM – 1
(For Linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Surajpur

No. 612/Reader/2022

Dated - 10.01.2022

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 5.637 hectares of protected forest land to be diverted in favour of **National Highway Division Ambikapur** for project Up-gradation/Widening of NH 343 Ambikapur Ramanujganj Gadhwa Road (Purpose for diversion of forest land) in **Surajpur** district falls within Jurisdiction of **Sanjaynagar** village(s) in **Latori** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.637** hectares of forest land prosposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub division level committee (s) are enclosed as annexure **01** to annexure 04.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primiitve Trible Groups and Pre-agricultural Communities.

Encl: As above.

(Dr. Gourav Kumar Singh)
COLLECTOR
DIST. – SURAJPUR

Scanned with CamScanner

अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के बैठक की कार्यवाही

विवरण

आज दिनांक 7.01.22 को अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक समय 12 बजे दिन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर के कार्यालय में लिया गया ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर के पत्र कमांक 104/शिल्प अम्बिकापुर दिनांक 21.1.20 के अनुसार- अम्बिकापुर -रामानुजगंज रा.रा.मार्ग क.343 (110.000कि.मी.) चौड़ीकरण उन्नययनीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 7.384हें. वन भूमि के व्यपर्तन हेतु प्रस्ताव चाहा गया जियमें भूमि रकबा 1.747 हें हाउसिंग बोर्ड को आवंटित होनें से उक्त रकबा को व्यपवर्तन की कार्यवाही संभव नहीं है । अतः आवेदित रकबा मे से 5,637हे व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करनें के संवंध में बैठक लिया गया जिसमें विषयांकित कार्य हेतु सूरजपुर वन मंडल के संरक्षित वन भूमि पी.एफ-2577 रकबा 5.637 हें. भूमि को दिये जानें पर बैठक में सर्व सम्मति दिया गया है । इस प्रकार उपरोक्त विषयांकित कार्य अम्बिकापुर -रामानुजगंज रा.रा.मार्ग क.343 (110.000कि.मी.) चौड़ीकरण उन्नययनीकरण कार्य हेतु सूरजपुर वन मंडल के संरक्षित वन भूमि पी.एफ-2577 रकबा 5.637 हें. भूमि को व्यपवर्तन हेतु सर्व सहमति दी गई है ।

ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अध्यक्ष उपखंड स्तरीय वन अधिकार
समिति सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी(वन)	मुख्य कार्य.पा. अधिकारी	श्रीमती नन्देवरी	श्री अमर सिंह	श्री तुलसी राम यादव
सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
उप.खं.स्ती.वन अधि.समि.	उप.खं.स्ती.वन अधि.समि.	उप.खं.स्ती.वन अधि.समि.	उप.खं.स्ती.वन अधि.समि.	उप.खं.स्ती.वन अधि.समि.

Scanned with CamScanner

"प्रदर्श-च"

ग्राम सभा संजयनगर की बैठक दिनांक ....

का कार्यवाही विवरण

ग्राम संजयनगर

स्थान ग्राम पंचायत

दिनांक 28/01/2021

आज दिनांक.......................को ग्राम संजयनगर के सरपंच श्री/श्रीमती सुमारी मंडल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के.................सदस्य........प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम संजयनगर में आवेदक NH-PWD ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.747 हे0 वन भूमि 5.637 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 1.747 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 2.15 [illegible] इस प्रश्नाधीन वन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवस या अन्य परंपारिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहें हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:-

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
—	——— x ———	——— x ———	——— x ———

अतः यह एक मत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि......................हे0 में वन भूमि/ ....हे0 राजस्व वन भूमि, कुल योग...............हे0 वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ....(आवेदक).......... को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

टीप :- उक्त प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक - 426, 425, 429, 430/1, 431/1, 386 एवं 384, में गरीब व्यक्तियों का मकान, बाड़ी, ट्यूबेल खनन कर कृषि कार्य कर रहे हैं।

सचिव
ग्राम पचायत-संजयनगर
ज.प. + जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

हस्ताक्षर सुमारी
नाम ....
सरपंच........
सील

उपस्थित सदस्यगण

क्रमांक नाम हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1. [signature] रूपलाल
2. [signature] राजसिंह
3. [signature] [illegible]
4. बलराम [illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रारूप–3(देखिए नियम–14)

ग्राम सभा के कार्यवृत अभिलेख

ग्राम सभा पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम संजयनगर	2 सम्मिलन की तारीख 28/01/2021 3 सम्मिलन का स्थान पंचायत भवन
4 सम्मिलन का समय	5 उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या 65

अनुक्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत
(1)	(2)	(3)
	प्रस्ताव क्रमांक – (29) कालीघाट से किशन नगर होते हुए रजपुरी तक बाईपास सड़क निर्माण हेतु वन भूमि खसरा क्रमांक 426, 425, 429, 430/1, 431/1, 386, 384 के अनापत्ति के संबंध में चर्चा।	दिनांक 28/01/2021 को ग्राम पंचायत संजयनगर में श्री हरेन मजूमदार की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें N.H. 343 कालीघाट से किशन नगर होते हुए रजपुरी खुर्द तक बाईपास सड़क निर्माण हेतु वनभूमि पर काबिज ग्रामवासियों का अनापत्ति के संबंध में चर्चा किया गया जिसमें भूमि खसरा क्रमांक 426, 425, 429, 430/1, 431/1, 386, 384 रकबा क्रमशः 0.206, 0.518, 0.10, 0.265, 0.385, 0.085, 0.107 उपस्थित सभी पंचों एवं ग्रामवासियों ने उक्त सड़क निर्माण किये जाने हेतु प्रभावित भूमि पर काबिज कृषकों / ग्रामवासियों को उनके द्वारा निर्माण किये गये घर, कुआ, ट्यूबवेल, बाड़ी तथा लगाये गये फलदार वृक्षों का मुआवजा प्रदान करने के पश्चात ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी गई। उपस्थित पंचों एवं ग्रामवासियों की सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया।

स्थान................ तारीख..................................

ग्राम सभा सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले का हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

Scanned with CamScanner

FORM-I

(for project other then linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Sarguja

******

No./Dated.

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land processed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified then 4.232 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Ambikapur for project Up-gradation/widening of NH 343 Ambikapur Ramunaganj Gadhwa Road (purpose for diversion of forest land) in Surguja District falls within jurisdiction of Mendra khurd, KishunNagar , Rajpuri khurd Village in Ambikapur Tehsil District Surguja

It is further certified that;

a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.232 hectares of forest land proposed for diversion A copy of record of all consultation and meeting of the Forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (A). to (B)

b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl: As above.

Collector
District- Sarguja (C.G.)